[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं.63/2018- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.... (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.44/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 10 सितम्बर,2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 855(अ), तारीख 10 सितम्बर,2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में , प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएँगे , अर्थात्:-

" परंतु यह और कि, माल या सेवा या दोनों की सितम्बर, 2018 मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान आंध्र-प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 30 नवम्बर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे:

परंतु यह भी कि, माल या सेवा या दोनों की अक्तूबर,2018 मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए , जिनके कारबार का मूल स्थान आंध्र-प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 30 नवम्बर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे:

परंतु यह भी कि, माल या सेवा या दोनों की अक्तूबर,2018 मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए , जिनके कारबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में काडलूर, थिरुवारूर, पुद्दुकोट्टई, डिंडीगुल,नागापटिनम, थेनी, थंजावुर,सिवगंगई, तिरुचिरापल्ली, करूर और रामनाथपुरम में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 दिसम्बर , 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे।"।

[फा.सं. 20/06/17/2018 -जीएसटी (भाग-I)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं.44/2018, तारीख 10 सितम्बर,2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 855(अ), तारीख 10 सितम्बर,2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।